


तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
10.09.2020	<p>कोविड-19 संक्रमण के कारण न्यायिक कार्य स्थगित होने से यह पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण मेरे समक्ष आज पेश किया गया। प्रार्थी पक्ष तहसीलदार बाडमेर को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत खातेदारी भूमि में खातेदारान के हिस्से घोषित किये जाने की अनुशंसा की है। उक्त अधिनियम की धारा 136 के तहत खातेदारान के हिस्से घोषित किये जाने का कोई विधिक प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में विधि सम्मत कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन विधि सम्मत नहीं होने से लौटाया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल अभिलेख हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">   उप खण्ड अधिकारी  बाडमेर </p>	<p style="text-align: right;"> 2363  11.9.20 </p>